उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-17/470 /एक-1-2016-5(42)/2012
लखनऊ: दिनाँक: 25 अप्रैल 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ सपठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए रेलवे विभाग भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मीरजापुर	चुनार	भुईली	जमालपुर उर्फ बरई	679	0.0175	लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु।
				योग	**कुल 01 गाटा**	**0.0175 हे0**	

2. जिलाधिकारी द्वारा इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग,

shasnadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. यह भी अपेक्षित है कि शासनादेश संख्या-1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53, दिनॉक 20.11.2015 के अनुसार भूमि की कीमत ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनॉक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेश्न ऑफ इण्डिया (स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट), रेलवे विभाग, भारत सरकार को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

4. इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेश्न ऑफ इण्डिया (स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट) परियोजना के व्यापक जनहित को द्रष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-देवस्थान की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि उक्त भूमि के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका उत्पन्न न हों। यदि उक्त भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता हो तो रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-963/एक-1-2004-1-1(10)/2002-15-रा0-1, दिनॉक 30.06.2004 के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा देवस्थान की भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

-3-

संख्या-470(1)/एक-1-2016-5(42)/2012 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर ।
4. जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-1182/जि0भू0व्य0लि0/2013-14/डे0 फ्रे0को0 परियोजना-पुनर्ग्रहण, दिनॉक 30.10.2015 के सन्दर्भ में
5. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया 117/एच-2 राधा भवन, पाण्डु नगर, कानपुर ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in